कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 927 राँची : 21/11/2025

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातू–लातेहार T/L निर्माण कुल 126.974 हे0 हेतु (लातेहार वन प्रमंडल–55.865 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल–12.247 हे0, एवं राँची वन प्रमंडल–58.862 हे0), वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 3038 दिनांक 07.08.2023

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स पावरग्रिड द्वारा परिवेश 1.0 के माध्यम से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् 400 के0भी0 डी0/सी0 पतरातू–लातेहार ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 163.5868 हे0 वनभूमि (लातेहर वन प्रमण्डल अन्तर्गत 103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल अन्तर्गत 51.9373 हे0) अपयोजन प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तावित किया था। इसका प्रस्ताव संख्या–FP/JH/TRANS/32955/2018 है। उक्त ऑनलाईन प्रस्ताव को विभागीय पत्रांक 2226 दिनांक 14.06.2023 के माध्यम से भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को अग्रसारित किया गया था। विषयक प्रस्ताव पर भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र संख्या–1291 दिनांक 20.07.2023 द्वारा सात (7) बिन्दुओं वांछित दस्तावेज/जानकारी ऑनलाईन अपलोड करने की मांग की गई।

उपरोक्त पृच्छा के क्रम में वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के रकबा में संशोधन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण पावरग्रिड, राँची के पत्र संख्या– 85 दिनांक 29.05.2025 द्वारा संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों (रामगढ़ वन प्रमण्डल का पत्रांक 2333 दिनांक 17.12.2024, राँची वन प्रमण्डल का पत्रांक 1473 दिनांक 28.05.2025 तथा लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 1178 दिनांक 28.05.2025) की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया।

पूर्व में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का रकबा :–

क्रमांक	वन प्रमण्डल का नाम	प्रस्तावित वनभूमि का रकबा	प्रस्तावित गैर–वनभूमि का रकबा
1.	रामगढ़ वन प्रमण्डल	7.9685 हे0	38.6 हे0
2.	राँची वन प्रमण्डल	51.9373 हे0	137.1 हे0
3.	लातेहार वन प्रमण्डल	103.681 हे0	161.2 हे0
	कुल –	**163.5868 हे0**	**336.95 हे0**

Sanjiv 21/11/2025

संशोधित वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का रकबा :–

क्रमांक	वन प्रमण्डल का नाम	प्रस्तावित वनभूमि का रकबा	प्रस्तावित गैर–वनभूमि का रकबा
1.	रामगढ़ वन प्रमण्डल	12.247 हे0	31.795 हे0
2.	राँची वन प्रमण्डल	58.862 हे0	125.377 हे0
3.	लातेहार वन प्रमण्डल	55.865 हे0	222.899 हे0
	कुल –	**126.974 हे0**	**380.071 हे0**

भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र संख्या–1291 दिनांक 20.07.2023 द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रासंगिक पत्रांक 562 दिनांक 04.10.2025 के द्वारा लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत संशोधित रकबा– 55.865 हे0 वनभूमि/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकरो के प्रासंगिक पत्रांक 723 दिनांक 21.10.2025 के द्वारा रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत संशोधित रकबा– 12.247 हे0 वनभूमि/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 1291 दिनांक 10.11.2025 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के प्रासंगिक पत्रांक 1125 दिनांक 10.11.2025 के द्वारा राँची वन प्रमण्डल अन्तर्गत संशोधित रकबा– 58.862 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। साथ ही संशोधित वनभूमि की रकबा के अनुसार संशोधित ऑनलाईन प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

विषयक परियोजना की ट्रान्समिशन लाईन तीन वन प्रमंडलों क्रमशः रामगढ़ वन प्रमंडल, राँची वन प्रमंडल एवं लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत से होकर गुजरेगी। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीगनर बोकारो, एवं राँची के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

(1) प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल–507.7045 हे0 भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 126.974 हे0 वनभूमि एवं 380.071 हे0 गैर वनभूमि सन्निहित है।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में Form-A Part-I में आवेदन online समर्पित किया गया है, जिसके संशोधित प्रति की Hard Copy संलग्न फोल्डर पर रक्षित है।

(3) संशोधित प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि की प्रमंडलवार रकबा एवं वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे0 में)	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा (हे0 में)	कुल रकबा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व	इको–क्लास
1	रामगढ़	7.647	4.6	12.247	**7.647 ha** -0.4 **4.6 ha** -0.2	3
2	राँची	39.906	18.956	58.862	0.8	3
3	लातेहार	52.704	3.161	55.865	0.5	3
	कुल–	**100.257**	**26.717**	**126.974**		

(4) ऑनलाईन प्रस्ताव में लातेहार वन प्रमंडल में प्रस्तावित वनभूमि (संशोधित) का Authenticated Land schedule संलग्न फोल्डर पर रक्षित है।

राँची वन प्रमंडल में प्रस्तावित वनभूमि (संशोधित) का Authenticated Land schedule संलग्न फोल्डर पर रक्षित है।

रामगढ़ वन प्रमंडल में प्रस्तावित वनभूमि (संशोधित) का Authenticated Land schedule संलग्न फोल्डर पर रक्षित है।

Sanjeev 21/11/2025

(5) ऑनलाईन प्रस्ताव में संशोधित पार्ट–II में लातेहार वन प्रमंडल एवं Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर की अनुशंसा संलग्न है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

संशोधित पार्ट–II में राँची वन प्रमण्डल एवं Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची की अनुशंसा संलग्न है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

संशोधित पार्ट–II में रामगढ वन प्रमण्डल एवं Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकरो की अनुशंसा संलग्न है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(6) वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/राँची वन प्रमण्डल ने अपने Part-II कंडिका–11 के 1(c) के अनुसार क्रमशः 2.5 हे0 वनभूमि, 0.12 हे0 वनभूमि एवं 0.2576 हे0 वनभूमि पर FC Act, 1980 का उल्लंघन किये जाने का उल्लेख किया गया है।

(7) ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट–II की कंडिका–6 में लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा अंकित किया गया है कि "moderately prone to erosion"

प्रस्ताव के पार्ट–II की कंडिका–6 में रामगढ़ वन प्रमंडल द्वारा अंकित किया गया है कि "The area is undulated and prone to erosion"

प्रस्ताव के पार्ट–II की कंडिका–6 में राँची वन प्रमण्डल द्वारा अंकित किया गया है कि "The area to be diverted is undulating due to hilly and slopy terrain along with plains"

(8) ऑनलाईन प्रस्ताव में 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।

(9) ऑनलाईन प्रस्ताव में मौजा मैप में प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(10) ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट–I में तीनो वन प्रमण्डलों का KML File अपलोड किया गया है। साथ ही Main Line & Alternate Line का KML File Pen-drive में भी प्रस्ताव में संलग्न है।

(11) ऑनलाईन प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि का Geo-referenced मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(12) ऑनलाईन प्रस्ताव में तीनों वन प्रमंडलों में ट्रांसमिशन लाईन संरेखन में पड़ने वाली वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। पार्ट–II के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में वृक्षों की गणना के अनुसार कुल संख्या–21388 प्रतिवेदित है।

(13) ऑनलाईन प्रस्ताव में प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है।

(14) ऑनलाईन प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित जंगल–झाड़ी भूमि के उपयोग के संबंध में संबंधित उपायुक्तों/आयुक्त का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(15) ऑनलाईन प्रस्ताव में FRA, 2006 के तहत् उपायुक्त, लातेहार, रामगढ़ एवं राँची द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र (ग्राम सभा की कार्यवाही के साथ) संलग्न है। अनापति प्रमाण–पत्र की विवरणी निम्नवत् है :–

F.R.A Details for 400 KV D/C PTPS- Latehar T'L

Sl No.	Name of District	Letter No.	Date	Village Name	Area (Ha)	
1	Ramgadh	1264/WEL	29.07.2025	Katiya, Koto, Dadidih, Rochap, Rochap, Palu, Ukrid & Hafuwa	12.245	**12.245**
2	Latehar	99	19.08.2025	Belgara, Nindra, Kali, Dhoti, Mahlan, Loharsi, Hutap, Borsidag, Lukuia, Chiro, Rud, Chetar, Aan, Kita, Sos, Hosir & Parsahi	68.060	**68.060**
3	Ranchi	2522 (ii)	28.08.2025	Hering, Umendanda, Kander, Burmu, Lothamana, Ojhasaram & Munna	18.957	**46.657**
				Chama & Ramdaga	7.922	
				Dulli, Harahu & Konka	19.782	

Sanjiv 21/11/2025

Total	126.962

(16) प्रस्ताव के साथ इस परियोजना के अन्तर्गत कुल **26.717** हे0 जंगल–झाड़ी उपयोग के संबंध में तीनों वन प्रमंडलों से संबंधित उपायुक्तों/आयुक्त का अनापति प्रमाण–पत्र निम्नवत् है:–

क्र0सं0	वन प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	पत्रांक /दिनांक	कुल रकवा हे0 में	
1	राँची	राँची	पत्रांक 4594 (ii) रा0 दिनांक 22.08.2025	12.313 हे0	**12.313**
2	रामगढ़	रामगढ़	पत्रांक 1782/रा0 दिनांक 09.10.2025	4.599 हे0	**4.599**
3	लातेहार	लातेहार	पत्रांक 1967 दिनांक 10.09.2025	9.834 हे0	**9.834**
		कुल :			**26.746**

विषयक परियोजना में तीनों वन प्रमंडलों में सन्निहित जंगल–झाड़ी वनभूमि का कुल रकबा– 26.717 हे0 है। लेकिन संबंधित उपायुक्तों/आयुक्त द्वारा कुल–26.746 हे0 जंगल–झाड़ी का अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है।

(17) ऑनलाईन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता समर्पित है।

(18) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीनों वन प्रमंडलों में कुल–126.974 हे0 अपयोजित होने वाली वनभूमि के दोगुणे 253.948 हे0 के विरूद्ध कुल–275.65 हे0 अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम (पीएफ/आरएफ)	थाना/थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा (हे0)
1	लातेहार	गड़गोमा	बालूमाथ/30	671p, 748p, 765p	42.20
		सिरम	बालूमाथ/232	91p, 92p, 96p, 99p, 109p, 110p, 111p	53
		अलौदिया	बालूमाथ/272	27p	26.70
2	रामगढ़	दरीडीह	रामगढ़/19	520, 521 & 523	13.53
		कोटो	रामगढ़/18	315	3.80
		पैंकी	माण्डू/149	228, 239, 240, 241, 242, 246, 247 & 248	12.08
3	राँची	होयर	बुढ़मू/17	262, 633, 479	75.77
		चूरी	बुढ़मू/16	1302	40.00
		तूरमूली	माण्डर	471	8.57
				कुल–	275.65 हे0

क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML File, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

(19) ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमण्डलों के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष्य एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।

Sanjiv 21/11/2025

(20) ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमण्डलों के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं हाथी गलियारा एवं वन्यजीव प्रवास गलियारा आदि के 10 कि0मी0 के भीतर अवस्थित नहीं है।

(21) प्रस्ताव के संबंध में CWLW, झारखण्ड के पत्रांक–865 दिनांक–02.06.2021 द्वारा प्राप्त मंतव्य संलग्न है, जो निम्नवत् है :–

(i) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण से उद्भूत वन्यप्राणियों के habitat fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिप्रेक्ष्य में Project Cost पर Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

(ii) ट्रांसमिशन लाईन निर्माण से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Bottom Conductor (Sag के साथ का Ground Clearance कम से कम 25 फीट हो ताकि वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के आवागमन के समय कोई दुर्घटना न हो।

(iii) वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के संभावित Electrocution से बचाव के लिए ABC Cable (Insulated Aerial Bundled Cable) का प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा।

(iv) Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco-friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife" (2016) में निहित मार्गदर्शन, इस विषय पर उपलब्ध अन्य authentic literature तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में Wildlife Management Plan का निर्माण किया जायेगा।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकरो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची से प्राप्त ऑनलाईन संशोधित प्रस्ताव की पार्ट–IV भरकर प्रस्ताव की तीन–तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी,

Sanjiv 21/11/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

400 kV D/c Patratu-Latehar Transmission Line ***126.974 ha.***

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 126.974 ha of Forest land.

Date :-

Place :- Ranchi

Signature

Sanjeev
21/11/2025

(Sanjeev Kumar)
Nodal Officer
Name & Designation

PCCF-Cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Jharkhand, Ranchi

कार्यालय :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची।
वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, रॉंची–834002
ई–मेलः– cf-ranchi@gov.in फोन0:–(0651)–2481814 मो0:–8987790111

पत्रांकः– 1133 दिनांकः– 19/11/2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची

विषय :– **मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 K.V. D/C पतरातू –लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल– 163.5868 हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल– 103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल– 7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल– 51.9373 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव संशोधित रकबा– 126.974 हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल– 55.865 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल– 12.247 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल– 58.862 हे0) के संबंध में।**

प्रसंगः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल का पत्रांक 2917 दिनांक 09.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची ने 400 KV/DC पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन में राँची वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजित वनभूमि के प्रस्ताव (Proposal) अग्रतर कार्रवाई हेतु अंचलीय कार्यालय को समर्पित किया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 04.11.2025 को किया गया है, तथा अधोहस्ताक्षरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची के स्थल निरीक्षण————प्रतिवेदन से सहमत है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची के प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव **पाँच प्रतियों में** निम्नलिखित अभिलेखों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न समर्पित की जा रही हैः–

Sl. No.	Description	Annexure
1	Part III	I
2	वन संरक्षक का स्थल जॉच प्रतिवेदन	II
3	Part II	A
4	दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्राक्कलन।	B
5	डी0सी0एफ0 का स्थल जॉच प्रतिवेदन एवं Recommendation	C&D
6	वृक्षों की गणना सूची (सारांश)	1
7	विस्तृत वृक्षों की गणना सूची।	2
8	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का KML File	3
9	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि नक्शा।	4
10	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का टोपोशीट में सीमांकन/रेखांकन।	5
11	Form 'A'	6

12	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी। (वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित)	7
13	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी। (अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित)	8
14	परियोजना में न्यूनतम वनभूमि उपयोग से संबंधित वचनबद्धता।	9
15	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित वनभूमि की वनरोपण एवं राशि भुगतान के संबंध हेतु वचनबद्धता के संबंध में प्रमाण पत्र।	10
16	प्रस्ताव में सम्मिलित जंगल–झाड़/ वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	11
17	प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	12
18	लागत लाभ विश्लेषण प्रतिवेदन।	13
19	प्रस्ताव में सम्मिलित गैर वनभूमि की विवरणी।	14
20	ट्रांसमिशन लाईन का Authorization Letter	15
21	प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन से 10 कि0मी0 की दूरी में कोई हवाई अड्डा नहीं होने संबंधी वचनबद्धता।	16
22	परियोजना स्थल पर श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं करने के संबंध में वचनबद्धता।	17
23	Topo Sheet of Project map	18
24	Topo Sheet of Alternate Routes map	19
25	Digitized Cadastral Map/Village Map	20
26	वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव को ऑनलाईन समर्पित करने से संबंधित Acknowledgement Slip की प्रति।	21
27	अन्य वचनबद्धता एवं परियोजना संबंधित दस्तावेज।	22
28	डी0जी0पी0एस0 सर्वे प्रतिवेदन एवं KML File in Pendrive/CD	23

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 – यथोक्त।
(प्रस्ताव 5 प्रति में)

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, रांची- 834002 (झारखंड)
E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386

पत्रांकः— 2908 दिनांकः— 08-10-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।

विषयः— मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 **K.V. D/C** पतरातू –लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु संशाधित कुल– **163.5868** हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल– **103.681** हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल– **7.9685** हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल– **51.9373** हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव [पुनः संशोधित रकबा– **126.974** हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल– **55.865** हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल– **12.247** हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल– **58.862** हे0)] के संबंध में।

प्रसंगः— सहायक वन महानिरीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक–1291 दिनांक--20.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक् प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव के ऑनलाईन आवेदन में पाई गई त्रुटियों का बिन्दुवार प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण ने उनके पत्रांक–158 दिनांक–04.10.2025 के द्वारा समर्पित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	त्रुटि	निराकरण
i)	As per the DSS analysis, it is found that alignments of the uploaded KML files of the three divisions do not match with each other and also are not congruent with the installed towers (apparently installed over forest land in violation of FCA). Therefore, it may be reexamined and correct KML file may be uploaded.	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित के0एम0एल0 एवं नक्शा ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में समर्पित किया गया है।
ii)	The total no of trees enumerated in forest land proposed for diversion is 15354 but conventionally They all would not require felling. Therefore , number of trees proposed for felling, trimming and translocation may be informed.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित वृक्ष गणना की सूची (वृक्ष पातन, वृक्ष छँटाई एवं वृक्ष प्रत्यारोपित) संलग्न किया गया है। संशोधित वृक्षों की सूची ऑनलाईन पार्ट–2 पर भी अंकित कर दी गई है।
iii)	The CA scheme (with 10 years of maintenance) provided under latehar FD has not been uploaded on the online application. Also , around 60 Ha. of forest proposed for CA are already high on vegetative index, therefore, appropriate area should be identified for the purpose.	इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।

1473
14/10/25

iv)	The alternative routes of transmission line are not legible, the kml of these routes too may be submitted.	इस संबंध में प्रयोक्ता अभि द्वारा alternate route का टो शीट परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है एवं के0एम0एल0 फाईल पेनड्राईव में दिया गया है।
v)	As per online application, total temporary employment is 600000 whereas total employment mention in Cost Benefit (CB) analysis is 120000. It may be clarified. Also, the rates eg. NPV, daily wage etc. taken for CB estimation is old, present rate may be incorporated to assess the CB Ratio.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit analysis ऑनलाईन पार्ट–1 में अपलोड किया गया है।
vi)	As per DSS analysis, it appears that the proposed forest land for diversion has been violated by User Agency. But only Latehar forest division has reported violations whereas apparently the violation has also happened in Ramgarh & Ranchi Forest Division which requires filed verification. If, violation is done, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation of why forest department could not assess the violation (Ramgarh & Ranchi FD) while processing the application. Therefore, fresh site inspection report by the concerned DFOs become imperative.	इस संबंध में सूचित करना है कि fresh site inspection report ऑनलाईन पार्ट–2 में अपलोड कर दी गई है एवं इस प्रमण्डल अंतर्गत वन भूमि पर पाई गई violation को भी अंकित कर दिया गया है। इस मामले में वनपाल/वनरक्षी द्वारा माह अगस्त 2025 में ही वन वाद दर्ज किया गया है।
vii)	The proposal is already more than four years old, it is pertinent that the required Wildlife Management Plan and Soil Conservation Plan must have been made ready by user agency. Therefore, copy of the plans may be also uploaded on the online application.	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता ऑनलाईन समर्पित की गई है। बिना स्टेज–I के शर्त्त प्राप्ति के यह योजनाएँ नहीं बन सकती है।

विश्वासभाजन

08/10/25

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

08/10/25

(562)

कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in

दूरभाष /Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

पत्रांक– 562 मेदिनीनगर, दिनांकः– 04.10.2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः– मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 के0भी0 / डी0सी0 पतरातु से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत संशोधित कुल रकबा 55.865 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 2451 दिनांक 26.09.2025

2301 04/10/2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 के0भी0 / डी0सी0 पतरातु से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत संशोधित कुल रकबा 55.865 हे0 वन भूमि (52.704 हे0 अधिसूचित वन भूमि एवं 3.161 हे0 जंगल झाड़ी भूमि) अपयोजन प्रस्ताव संख्या FP/JH/TRANS/32955/2018 परिवेश पोर्टल पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल से ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.10.2025 को विषयांकित परियोजना के निमित अपयोजित होनवाली वन भूमि का निरीक्षण किया गया।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में विषयांकित परियोजना हेतु वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षणोपरांत Form-A, Part-III में की गयी प्रवृष्टि, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के साथ प्रस्ताव की <u>पांच प्रतियाँ</u> इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

आपका विश्वासी,

4.10.25

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

08/10/25

P.F-10

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो-827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.con मो० – 8987790301

पत्रांक : 723, दिनांक : 21/10/2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

–सह–

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,

झारखण्ड, राँची

विषय :– **पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 400 के0भी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन पी0टी0पी0एस0 से लातेहार तक रामगढ़ वन प्रमण्डल कुल 7.9685 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र संख्या–FP/JH/TRANS/32955/2018/1291 दिनांक 12.08.2025 एवं 08.01.2024।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 846 दिनांक 16.08.2025 एवं पत्रांक 806 दिनांक 14.10.2025।
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल का कार्यालय पत्रांक 2192 दिनांक 05.10.2025 एवं पत्रांक 2273 दिनांक 14.10.2025।

महाशय,

उपुर्यक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा विषयगत परियोजना में कुल 7 बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश प्राप्त है। निर्देश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्र–3 द्वारा अपने मंतव्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिससे अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :–

Sl.No.	EDS from IRO, Ranchi dated 20.07.23	Reply of UA	Remarks of DFO
i)	As per the DSS analysis, it is found that alignments of the uploaded KML file of the three divisions do not match with each other and also are not congruent with the installed towers (apparently installed over forest land in violation of FCA). Therefore, it may be re-examined and correct KML file may be uploaded.	It is submitted that reassessment of the forest area along the route of the line in all 3 divisions has been done and the KML file along with maps has been duly checked by respective Forest Divisions. The same has been uploaded in PARIVESH.	Modified and corrected KML has been uploaded on PARIVESH Portal.

S.No.	EDS from IRO, Ranchi dated 20.07.23	Reply of UA	Remarks of DFO
ii)	The total no of trees enumerated in forest land proposed for diversion is 15354 but conventionally they all would not require felling. Therefore, number of trees proposed for felling, trimming and translocation may be informed.	Tree enumeration for the forest area has been done, verified and certified by respective FDs with respect to number of trees proposed for felling, trimming and translocation. Details are mentioned in jointly signed tree enumeration list of the respective FDs.	As per revised tree list submitted by UA, the no. of affected trees in this division are 1399 in number and number of tree that would be felled is 863. Rest would be translocated.
iii)	The CA scheme (with 10 years of maintenance) provided under Latehar FD has not been uploaded on the online application. Also, around 60Ha of forest proposed for CA are already high on vegetative index, therefore, appropriate area should be identified for the purpose.	Revised CA scheme for Latehar FD has been uploaded by DFO, Latehar on 26.09.2025.	Not related with this division.
iv)	The alternative routes of transmission line are not legible, the kml of these routes too may be submitted.	Detailed Alternate analysis and Alternate Routes on SoI tops have been uploaded and submitted. KML files of Alt. Routes also submitted to all the FDs.	KML files of alternative route of transmission line is submitted by UA in CDs
v)	As per online application, total temporary employment is 600000 whereas total employment mention in Cost Benefit (CB) analysis is 120000. It may be clarified. Also, the rates eg. NPV, daily wage etc. taken for CB estimation is old, present rate may be incorporated to assess the CB Ratio.	Revised Cost Benefit analysis has been uploaded and Employment Generation has also been revised in Part-I of the Proposal.	Revised Cost Benefit Analysis and employment generation has been uploaded in the Part-I and updated Cost Benefit Analysis has been uploaded as additional document.
vi)	As per DSS analysis, it appears that the proposed forest land for diversion has been violated by User Agency. But only Latehar forest division has reported violations whereas apparently the violation has also happened in Ramgarh & Ranchi Forest Division which requires filed verification. If, violation is done, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation of why forest department could not	Taken up with respective Forest Divisions at the time of Part II formulation.	It is true that violation happened in Ramgarh Forest division which while filling Part-II earlier, was missed during general oversight. After violation came into cognizance forest case has been filed and new site inspection report has been uploaded.

.No.	EDS from IRO, Ranchi dated 20.07.23	Reply of UA	Remarks of DFO
	assess the violation (Ramgarh & Ranchi FD) while processing the application. Therefore, fresh site inspection report by the concerned DFOs become imperative.		
vii)	The proposal is already more than four years old, it is pertinent that the required Wildlife Management Plan and Soil Conservation Plan must have been made ready by user agency. Therefore, copy of the plans may be also uploaded on the online application.	User Agency undertakes to deposit cost towards implementation of Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation plan as per MoEFCC guidelines dated 26.12.24. Undertaking for deposition of cost as per MoEFCC guidelines submitted in Part-I.	UA has uploaded the undertaking to deposit of cost WLP and SMC Plan as per guideline of MoEFCC dated 26.12.24 in Part-I of PARIVESH Portal.

अनुपालन प्रतिवेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से अनुमोदन प्राप्त है। अतः प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की छायाप्रति एवं संशोधित प्रस्ताव की 5 (पाँच) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :— यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/10/2025

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

(610)

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल,

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)
Email id – dfo-ramgarh@gov.in, Land Line No-06553-296061, Mobile No-8987790306

पत्रांकः– 2192 दिनांकः– 05-10-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :– **मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट पतरातु–लातेहार टांशमिशन लाईन निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे0 (लातेहार वन प्रमंडल –103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल –7.9685 हे0 एवं रांची वन प्रमंडल –51.9373 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक–846 दिनांक 16.08.2023**

2. भवदीय का ज्ञापांक–992 दिनांक 22.08.2023

महाशय,

भवदीय को सादर सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (1) द्वारा विषयगत परियोजना के 06 बिन्दुओं पर की गई पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के अभ्युक्ति के साथ भवदीय को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

S.No.	EDS from IRO, Ranchi dated 20.07.23	Reply of UA	Remarks of DFO
i)	As per the DSS analysis, it is found that alignments of the uploaded KML file of the three divisions do not match with each other and also are not congruent with the installed towers (apparently installed over forest land in violation of FCA). Therefore, it may be re-examined and correct KML file may be uploaded.	It is submitted that reassessment of the forest area along the route of the line in all 3 divisions has been done and the KML file along with maps has been duly checked by respective Forest Divisions. The same has been uploaded in PARIVESH.	Modified and corrected KML has been uploaded on PARIVESH Portal.
ii)	The total no of trees enumerated in forest land proposed for diversion is 15354 but conventionally they all would not require felling. Therefore, number of trees proposed for felling, trimming and translocation may be informed.	Tree enumeration for the forest area has been done, verified and certified by respective FDs with respect to number of trees proposed for felling, trimming and translocation. Details are mentioned in jointly signed tree enumeration list of the respective FDs.	As per revised tree list submitted by UA, the no. of affected trees in this division are 1399 in number and number of tree that would be felled is 863. Rest would be translocated.
iii)	The CA scheme (with 10 years of maintenance) provided under Latehar FD has not been uploaded on the online application. Also, around 60Ha of forest proposed for CA are already high on	Revised CA scheme for Latehar FD has been uploaded by DFO, Latehar on 26.09.2025.	Not related with this division.

No.	EDS from IRO, Ranchi dated 20.07.23	Reply of UA	Remarks of DFO
	vegetative index, therefore, appropriate area should be identified for the purpose.		
iv)	The alternative routes of transmission line are not legible, the kml of these routes too may be submitted.	Detailed Alternate analysis and Alternate Routes on Sol tops have been uploaded and submitted. KML files of Alt. Routes also submitted to all the FDs.	KML files of alternative route of transmission line is submitted by UA in CDs
v)	As per online application, total temporary employment is 600000 whereas total employment mention in Cost Benefit (CB) analysis is 120000. It may be clarified. Also, the rates eg. NPV, daily wage etc. taken for CB estimation is old, present rate may be incorporated to assess the CB Ratio.	Revised Cost Benefit analysis has been uploaded and Employment Generation has also been revised in Part-I of the Proposal.	Revised Cost Benefit Analysis and employment generation has been uploaded in the Part-I and updated Cost Benefit Analysis has been uploaded as additional document.
vi)	As per DSS analysis, it appears that the proposed forest land for diversion has been violated by User Agency. But only Latehar forest division has reported violations whereas apparently the violation has also happened in Ramgarh & Ranchi Forest Division which requires filed verification. If, violation is done, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation of why forest department could not assess the violation (Ramgarh & Ranchi FD) while processing the application. Therefore, fresh site inspection report by the concerned DFOs become imperative.	Taken up with respective Forest Divisions at the time of Part II formulation.	It is true that violation happened in Ramgarh Forest division which while filling Part-II earlier, was missed during general oversight. After violation came into cognizance forest case has been filed and new site inspection report has been uploaded.
vii)	The proposal is already more than four years old, it is pertinent that the required Wildlife Management Plan and Soil Conservation Plan must have been made ready by user agency. Therefore, copy of the plans may be also uploaded on the online application.	User Agency undertakes to deposit cost towards implementation of Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation plan as per MoEFCC guidelines dated 26.12.24. Undertaking for deposition of cost as per MoEFCC guidelines submitted in Part-I.	UA has uploaded the undertaking to deposit of cost WLP and SMC Plan as per guideline of MoEFCC dated 26.12.24 in Part-I of PARIVESH Portal.

आपका विश्वासी,

Nitish
05/x/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।

(608)

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
A Government of India Enterprise

RECEIVED
Head Clerk
Ramgarh Forest Division

संदर्भ सं.: पू.क्षे.-1/राँची/जे.सी.पी./ला.प.पा.ला/156

दिनांक: 27.09.2025

सेवा में,

श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी
वन प्रमंडल- रामगढ़, झारखण्ड।

विषय :- निर्माणाधीन 400 के.वी. पतरातू - लातेहार पारेषण लाइन से सम्बंधित वन प्रस्ताव पर भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र सं. FP/JH/trans/32955/2018/1291, दिनांक 20/07/2023 द्वारा की गई पृच्छओं अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के आलोक में कहना है कि विषयाधीन पत्र द्वारा की पृच्छाओ का बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन अनुलग्नक – 1 द्वारा समर्पित किया जा रहा है ।

अतः श्रीमान अवलोकनार्थ एवं अग्रएत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सधन्यवाद ।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय,

27.09.25

(एस. के. शशि)
उप महाप्रबन्धक (जे.सी.पी),
पावरग्रिड, रांची ।

उपकेंद्र: 400/220 के0वी0 उपकेंद्र, ग्राम- राजाउलातु, पोस्ट- नामकुम, राँची- 834010, दूरभाष: 0651-2972320
Sub-Station: 400/220KV Sub-Station, Gram- Rajaulatu, Namkum, Ranchi, Tel: 0651-2972320
केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी", प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुरुग्राम -122001, (हरियाणा) दूरभाष: 0124-2571700-719
Corporate Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय: बी -9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110 016. दूरभाष: 011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892, CIN: L40101DL1989GOI038121
Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016. Tel: 011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892, CIN: L40101DL1989GOI038121
Website: www.powergridindia.com

अनुलग्नक -1

S.No.	EDS from IRO, Ranchi dated 20.07.23	Response
i)	As per the DSS analysis, it is found that alignments of the uploaded KML file of the three divisions do not match with each other and also are not congruent with the installed towers (apparently installed over forest land in violation of FCA). Therefore, it may be re-examined and correct KML file may be uploaded.	It is submitted that reassessment of the forest area along the route of the line in all 3 divisions has been done and the KML file along with maps has been duly checked by respective Forest Divisions. The same has been uploaded in PARIVESH.
ii)	The total no of trees enumerated in forest land proposed for diversion is 15354 but conventionally they all would not require felling. Therefore, number of trees proposed for felling, trimming and translocation may be informed.	Tree enumeration for the forest area has been done, verified and certified by respective FDs with respect to number of trees proposed for felling, trimming and translocation. Details are mentioned in jointly signed tree enumeration list of the respective FDs.
iii)	The CA scheme (with 10 years of maintenance) provided under Latehar FD has not been uploaded on the online application. Also, around 60Ha of forest proposed for CA are already high on vegetative index, therefore, appropriate area should be identified for the purpose.	Revised CA scheme for Latehar FD has been uploaded by DFO, Latehar on 26.09.2025.
iv)	The alternative routes of transmission line are not legible, the kml of these routes too may be submitted.	Detailed Alternate Route Analysis and Alternate Routes on SoI topo have been uploaded and submitted. KML files of Alt. Routes also submitted to all the FDs in CD.
v)	As per online application, total temporary employment is 600000 whereas total employment mention in Cost Benefit (CB) analysis is 120000. It may be clarified. Also, the rates eg. NPV, daily wage etc. taken for CB estimation is old, present rate may be incorporated to assess the CB Ratio.	Revised Cost Benefit analysis has been uploaded and Employment Generation has also been revised in Part-I of the Proposal.
vi)	As per DSS analysis, it appears that the proposed forest land for diversion has been violated by User Agency. But only Latehar forest division has reported violations whereas apparently the violation has also happened in Ramgarh & Ranchi Forest Division which requires filed verification. If, violation is done, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation of why forest department could not assess the violation (Ramgarh & Ranchi FD) while processing the application. Therefore, fresh site inspection report by the concerned DFOs become imperative.	Taken up with respective Forest Divisions at the time of Part II formulation.
vii)	The proposal is already more than four years old, it is pertinent that the required Wildlife Management Plan and Soil Conservation Plan must have been made ready by user agency. Therefore, copy of the plans may be also uploaded on the online application.	User Agency undertakes to deposit cost towards implementation of Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation plan as per MoEFCC guidelines dated 26.12.24. Undertaking for deposition of cost as per MoEFCC guidelines submitted in Part-I.

27.09.25

S. K. Shashi / एस. के. शशि
DGM (JCP) / उप महाप्रबंधक (जेसीपी)
POWERGRID / पावरग्रिड
Ranchi / राँची

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल,

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in, Land Line No-06553-296061, Mobile No-8987790306

पत्रांकः– 2273 दिनांकः– 14-10-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :– **400 के0वी0 डलब सर्किट पतरातु से लातेहार ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु 126.974 हे0 (रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत–12.247 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

मेसर्स पावरग्रिड ऑफ इण्डिया लि0 की 400 के0वी0 डबल सर्किट पतरातु से लातेहार टांशमिशन लाईन निर्माण हेतु 12.247 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रामगढ़ वन प्रमंडल में समर्पित किया है। रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा–कटिया, कोतो, डाडीडीह, रोचाप, पालू, उकरिद, हफुआ एवं बटुका में प्राप्त प्रस्ताव का पार्ट–2 परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए चेकलिस्ट के साथ 07 (सात) प्रतियों में हस्ताक्षरित करते हुए आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

साथ में (1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक–846 दिनांक 16.08.2023 द्वारा विषयगत परियोजना के संदर्भ में की गई पृच्छा का अनुपालन ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव के संदर्भ में यथोचित अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

14/x/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।

FCA

15/10/25

पत्रांक 2335 दिनांक 16/10/25